नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक........110761

प्रारूप — 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 7599

दिनांक 22-02-2018

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
सत्यमेव जयते
मेरठ मण्डल, मेरठ (उ0प्र0)

उत्तर प्रदेश सरकार

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण—पत्र

(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या	पत्रावली संख्या	दिनांक
1540	57630—एम	2012-2013

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ......डीसेंन्ट एजूकेशनल सोसाइटी.

खुशहाल गढ़ रोड, अनूपशहर, जिला--बुलन्दशहर.........को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र ....1100 दिनांक ......08-01-2013 को दिनांक

........08-01-2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

..........1100..........रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक.......22-02-2018

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

De Saint Public School
Navorau Dibai (BSR)

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स—21—11—2014—(1374)—2,00,000 प्रतियां—(क0 / टी0 / आफसेट)।

PRINCIPAL
De Saint Public School
Navorau Dibai (BSR)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

72AB 765987

जनरल स्टाम्प पेपर

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज तथा चिट्स मेरठ

21-3-13

Manager
De.Saint Public School
DAYORAU DIBAI BSR

PRINCIPAL
De Saint Public School
Dayorau Dibai (BSR)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10 | TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

72AB 765986

डी-सेन्ट एजुकेशनल सोसाइटी

२४ 57630

बुलन्दशहर

नियमावली

सत्य प्रतिलिपि

21-3-13

Manager
De.Saint Public School
DAVORAU DIBAI BSR

PRINCIPAL
De Saint Public School
Dayorau Dibai (BSR)

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : डीसेन्ट एजूकेशनल सोसायटी

2 संस्था का पूरा पता : खुशहाल गढ रोड, अनूपशहर जिला बुलन्दशहर

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश

4. संस्था के उदेश्य : निम्नवत होगे।

1. सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछडी जाति आदि छात्र / छात्राओं तथा महिलाओ के बौद्दिक एंव सामाजिक तथा शैक्षिक उत्थान के लिये शिक्षण/प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना तथा स्वरोजगार के लिये रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र जैसे कम्प्यूटर टाईपिंग नेट वर्किंग,सोन्दर्य प्रसाधन, कला, संगीत, हस्त शिल्प, सिलाई, कढाई, बुनाई, आदि शिक्षण/प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना कर सचालन करना ।

2. सभी वर्ग एवं समुदाय के लिये स्वः रोजगार हेतु स्वयं सहायता समूह, आधुनिक एवं नवीनतम तकनीकी आन लाईन तथा आफ लाईन शिक्षा, प्रचार एंव प्रसार हेतु संगोष्ठियों आदि कार्यकमों का संचालन एवं सम्पादन करना।

3. आपातकालीन परिस्थितियों जैसे भूकम्प, अग्निकांड, महामारी, व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीडितों को राहत सामग्री आदि सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराना एवं करवाना।

4. विभिन्न संस्थाओ के सहयोग से समाज के पिछडे एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों के लिये नियमानुसार चिकित्सा शिविर पुनर्वास केन्द, चिन्तन शिविर, अनाथ आश्रम, वृद्व आश्रम, आध्यत्मिक एवं धार्मिक स्थलो आदि की स्थापना कर उनका सचालन करना एवं करवाना।

5 समिति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में सभी वर्गो के बालक, बालिकाओं की दूरस्थ शिक्षा, दीन ए ईमानी शिक्षा आदि के प्रचार एवं प्रसार हेतु मदरसा, स्कूल, विद्यालयों, कालेजों, महाविद्यालयो, की स्थापना कर उनका संचालन करना जैसे नर्सरी, प्राथमिक, जूनियर, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट ,डिग्री एवं तकनीकी स्तर की आधुनिक एवं अग्रेजी माध्यम की संस्थाएं जिनमें कला, विज्ञान, वाणिज्य, साहित्यिक, कृषि, एवं स्वास्थ्य तथा आधुनिक व नवीनतम तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध सक्षम विभाग से मान्यता/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् करना।

6 केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में सहयोग देकर समाज का उत्थान करना।

सत्य प्रतिलिपि

21-3-13

Manager
De.Saint Public School
DAYORAU DIBAI (BSR)

PRINCIPAL
De Saint Public School
Dayorau Dibai (BSR)

च. **प्रबन्धकारिणी समिति**

1. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकरिणी सदस्यो के नाम पिता/पति का नाम, स्थायी पता, पद एवं व्यवसाय जिनको समिति में नियमानुसार कार्यभार सौपा गया है।

क्र सं	नाम	पिता/पतिकानाम	स्थायी पता	पद	व्यवसाय
1	श्री सुरेश चन्द	श्री देवीदास	खुशहाल गढ रोड, अनूपशहर जिला बुलन्दशहर	अध्यक्ष	व्यापार
2	श्रीमति राधा गुप्ता	श्री धनश्याम दास	ग्रा–पो छाता तह0 व जिला मथुरा	उपाध्यक्ष	गृहणी
3	श्री योगेश कुमार	श्री सुरेश चन्द	मानक चौक; अनूपशहर जिला बुलन्दशहर	प्रबन्धक/ सचिव	व्यापार
4	श्रीमति बबीता गुप्ता	श्री भुवनेश कुमार	केदारशाह, अनूपशहर जिला बुलन्दशहर	उपसचिव/ उपप्रबन्धक	गृहणी
5	श्रीमतिकुमकुम गुप्ता	श्री ब्रजेश कुमार	515/10 बैक कालोनी, अलीगढ	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6	श्री हीरालाल	श्री बिल्लू लाल	देहलीगेट, अनूपशहर जिला बुलन्दशहर	सदस्य	मजदूरी
7	श्रीमति मधुगुप्ता	श्री गिरीराज किशोर	साठा बुलन्दशहर	सदस्य	ग्रहणी

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि इस स्मृति पत्र व नियमावली के अनुसार सोसायटी रजि एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया गया है ।

दिनांक : 15 जौलाई 2012

हस्ताक्षर

योगेश कुमार
सुरेश
राधा गुप्ता
बबीता
हीरालाल
Madhu
कुमकुम गुप्ता

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय ... रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स मेरठ
21-3-13

Manager
De. Saint Public School
DAVORAU DIBAI (BSR)

PRINCIPAL
De Saint Public School
Davorau Dibai (BSR)

नियमावली

1. संस्था का नाम : डीसेन्ट एजूकेशनल सोसायटी

2. संस्था का पता : खुशहाल गढ रेाड, अनूपशहर जिला बुलन्दशहर

3 संस्था का कार्य क्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश क्षेत्र

4. वित्तीय वर्ष : वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च

5.संस्था के उदेद्श्य : स्मृति पत्र अनुसार होगें।

(6) . संस्था की सदस्यता :

प्रत्येक पुरूष जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो पागल न हो, सजायाप्ता न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, तथा प्रबन्ध समिति के 2/3 सदस्यो द्वारा अनुमोदित हो वह संस्था का सदस्य बन सकता है ।

वह संस्था का सदस्य बन सकता है।

सदस्यों के वर्ग :

(1)संस्थापक सदस्य (2) आजीवन सदस्य (3) साधारण सदस्य।

संस्थापक सदस्य

जिन व्यक्तियो ने संस्था को पंजीकृत कराया है, वे संस्था के संस्थापक सदस्य कहलायेगे।

आजीवन सदस्य

जो सज्जन कमाक 6 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो और उन्होंने संस्था को एक मुश्त अंकन रूपये 5100/– नगद या इससे अधिक शुल्क/सम्पत्ति दान स्वरूप में दिये हो, वह संस्था के आजीवन सदस्य कहलायेगें। सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त ही उन्हे मत देने का अधिकार प्राप्त होगा।

साधारण सदस्य

जो सज्जन कमाक 6 के अनुसार योग्यता रखते हो और उन्होने संस्था को एक मुश्त अंकन 500/– रूपये नकद या इससे अधिक शुल्क/सम्पत्ति दान स्वरूप में दिये हो, वह संस्था के साधारण सदस्य कहलायेगे। सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त ही उन्हे मतदान का अधिकार प्राप्त होगा। यह शुल्क केवल पांच वर्ष तक ही मान्य होगा। उसके बाद पुनः उन्हे सदस्यता शुल्क देना होगा। शुल्क उपरान्त ही मत देना का अधिकार होगा।

सत्य प्रतिलिपि

21-3-13

Manager
De.Saint Public School
DAVORAU DIBAI BSR

PRINCIPAL
De Saint Public School
Dayorau Dibai (BSR)

(7) संस्था के अंग

(1) साधारण सभा (2) प्रबन्धकारिणी समिति ।

(8). साधारण सभा का गठन :

संस्था के उक्त सभी प्रकार के सदस्यो को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी:

(9). साधारण सभा के कार्य/अधिकार व कर्तव्य:

1. प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियें एवं सदस्यो का चुनाव बहुमत के आधार पर किया जाना।
2. आर्थिक बजट का अनुमोदन करना।
3. अन्य बैधानिक नियंत्रण कराना।
4. प्रबन्ध समिति तथा साधारण सभा की सयुंक्त बैठक मे सदस्यो के बहुमत से किसी सदस्य या पदाधिकारी के दोषी सिद्व होने पर उनके विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव पारित करके अनुशासनात्मक कार्यवाही करना एंव अन्तिम निर्णय लेना।

(क) बैठकें

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

(ख) सूचना

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे में डाक द्वारा अथवा स्पेशल मेसेन्जर द्वारा दी जायेगी।

(ग) कोरम

सामान्य बैठक अथवा विशेष बैठक की गणपूर्ति दो तिहाई होगी। परन्तु स्थगित की गयी बैठक को बुलाने पर गणपूर्ति को आवश्यक नही समझा जायेगा। प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा निर्धारित तिथि को वार्षिक अधिवेशन के रूप में समारोह के साथ प्रतिवर्ष मनाया जायेगा।

(10) प्रबन्धकारणी समितिः

संस्था के कार्यो के प्रबन्ध सचालन का अधिकार प्रबन्ध समिति का होगा। यह समिति एक्ट के उपबन्धो, विनियमों, नियमावली तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय जारी किये गये निर्देशो के अनुसार नियमित रूप से संचालन के लिये उत्तरदायी होगी।

गठन–

साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। जिनकी सदस्य संख्या भविष्य में कभी भी घट बढ़ सकती है।

बैठके

प्रबन्धकार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक होगीं एवं विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती हैं।

सूचना

प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे में डाक द्वारा अथवा स्पेशल मेसेन्जर द्वारां दी जायेगी।

कोरम

प्रबन्धसमिति की बैठक की गणपूर्ति दो तिहाई होगी।

Manager
De Saint Public School
DAYORAU DIBAI (BSR)

PRINCIPAL
De Saint Public School
Dayorau Dibai (BSR)

कार्यकाल

पदाधिकारी एवं समिति के सदस्यो का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। कार्यकाल समाप्त हो जाने पर आगामी एक माह तक पदाधिकारी बने रह सकेगे। यदि एक माह के अन्दर नवनिर्वाचित प्रबन्धसमिति कार्यभार ग्रहण नही करती तो कार्यरत प्रबन्धसमिति कालातीत मानी जायेगी। प्रत्येक दशा में प्रबन्धसमिति का कार्यकाल पूर्ण होने के एक माह पूर्व नयी प्रबन्धसमिति का गठन करना आवश्यक होगा।

(11) <u>प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के कार्य/अधिकार</u>

सस्था के उदेदश्यो की पूर्ति हेतु वार्षिक बजट बनाना तथा साधारण सभा में बजट पास करवाना, योजनाये तैयार करना, कार्यकर्ताओ की नियुक्ति, मुक्ति, दान अनुदान, स्वीकार करना। उददेश्यो की पूर्ति हेतु बैठक अथवा अन्य वित्तीय संस्थानो से ऋण आदि प्राप्त करना एवं संबन्धित सभी आवश्यक कार्य करनां।

(12) <u>संस्था के पदाधिकारी</u>

1. 1. अध्यक्ष–एक, उपाध्यक्ष–एक, प्रबन्धक–एक, उपप्रबन्धक–एक, कोषाध्यक्ष– एक, सदस्य–2

(13) <u>संस्था के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :</u>

1. <u>अध्यक्षः</u>

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति व आम सभा की बैठको की अध्यक्षता करना।
2. संस्था की बैठको के लिये दिनांक का अनुमोदन करना।
3. संस्था के हितार्थ कोई भी कार्य जो प्रबन्धकारिणी समिति व आम सभा से स्वीकृत हो उनकी देखभाल करना।
4. संस्था की देखभाल करना, बैठको को स्थगित करना एवं पुनः बुलाना एवं समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।
5. संस्था के उदेद्श्यो की पूर्ति हेतु 50000/– रुपये तक की व्यय की स्वीकृति देना
6. संस्था के समस्त लेखों पर हस्ताक्षर करना और प्रमाणित करना।
7. संस्था के उदेद्श्यो की पूर्ति हेतु चन्दा, दान/अनुदान ऋण, भूमि, चल–अचल सम्पत्ति, पटटो एवं व्यक्तिगत रूप से लिये धन को विभिन्न मदों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना
8. संस्था के कार्य को चलाने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत नियमो के अधीन कार्यकर्ताओ /कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके सेवा–नियम बनाना, उनके कार्यो की देखभाल करना, उन पर निर्णय लेकर कार्यवाही करना, जैसे सेवानियुक्ति, सेवा–मुक्ति, वेतन वृद्धि आदि करना ।
9. विभिन्न सरकारी/गैरसरकारी संस्थाओ के साथ हुऐं अनुबन्धो पर हस्ताक्षर करना।

3. <u>उपाध्यक्ष</u>

अध्यक्ष द्वारा सौपे गयें कार्य करना हैं।

सत्य प्रतिलिपि

21-3-13

Manager
De Saint Public School
DAYORAU DIBAI (BSR)

PRINCIPAL
De Saint Public School
Dayorau Dibai (BSR)

4 प्रबन्धक

1. संस्था के अध्यक्षानुसार आम सभा या प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक बुलाना, उसकी कार्यवाही लिखना तथा अध्यक्ष की अनुमति से अगली बैठक में उसे स्वीकार कराना।
2. संस्था के हिसाब–किताब सम्बन्धी समस्त अभिलेखो को तैयार करवाना, सुरक्षित रखना, एवं संस्था द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सी ए द्वारा उसका आडिट करवाना, आडिट रिपोर्ट अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. संस्था की पूंजी को प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन किसी भी बैक एवं अर्न्तराष्ट्रीयकृत बैक/डाकधर मे रखना तथां संस्था के समस्त बाउचरो को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना एवं स्वीकृत कराना।
4. अध्यक्ष के निर्णय की अनुमति के अनुरूप संस्था के हितार्थ केन्द्र/राज्य सरकार,समिति एवं विभाग तथा कार्यालयो से या विशिष्ट व्यक्तियो से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रत्र व्यवहार करना।
5. अन्य वे समस्त ऐसे कार्य जो संस्था के उद्देश्यों एवं हितार्थ हो तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्धकारिणी समिति एवं उद्देश्यो के विरूद्ध न हो करना।
6. संस्था के सदस्यो के त्यागपत्र एवं आवेदन–पत्र प्राप्त कर अध्यक्ष को सहमति के लियें प्रेषित करना।

5 उपप्रबन्धक

अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा सौपे गये कार्य करना।

6. कोषाध्यक्षः

कोष का निर्धारण करना,जमा करना, वाउचिंग करना, अध्यक्ष, एवं प्रबन्धक के साथ समन्वयव बैठाते हुऐ उनके निर्देशानुसार कार्य करना।

(14). सदस्यता की समाप्तिः

1. सदस्य की मृत्यु होने पर।
2. सदस्य द्वारा स्वयं त्यागपत्र दिये जाने पर।
3. संस्था की सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।
4. सदस्य को दिवालिया अथवा पागल धोषित होने पर।
5. सदस्य द्वारा स्वयं संस्था विरोधी गतिविधियों एवं कार्यो मे संलिप्त पाये जाने पर।
6. संस्था की तीन मीटिंग में बिना किसी कारण लगातार अनुपस्थित रहने पर।
7. 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर।

(15) रिक्त स्थान की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य के रिक्त स्थान की पूर्ति शेष अवधि के लिये प्रबन्धकारिणी समिति साधारण सभा के सदस्यों मे से कर सकेगीं।

(16) नियमो मे परिर्वतन/संशोधन :–

संस्था के नियमो मे परिर्वतन एवं संशोधन की आम सभा की बैठक के 2/3 के बहुमत के द्वारा पुष्टि करायी जाकर संशोधित प्रस्ताव उपनिबन्धक, फर्म्स सोसायटीज को अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा नियमानुसार एक माह के अन्दर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना होगा

सत्य प्रतिलिपि

21-3-13

Manager
De Saint Public School
DAYORAU DIBAI (BSR)

6

PRINCIPAL
De Saint Public School
Dayorau Dibai (BSR)

2 संस्था के उद्देश्यों के अन्तर्गत उपनियम बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी समिति का होगा, प्रबन्धकारिणी सभा से पुष्टि करायी जाकर इसके 10 दिन बाद आम सभा से पुष्टि करायी जायेगी, जिसकी कार्यवाही अध्यक्ष/प्रबन्धक के माध्यम से डिप्टी रजिस्टार सोसायटीज तथा फर्म्स विकास विहार न्यू मोहनपुरी मेरठ के कार्यालय मे नियमानुसार एक माह के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी।

(17) संस्था का कोष

1. सदस्यों की सदस्यता शुल्क द्वारा।
2. सरकारी तथा गैरसरकारी, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय, तथा व्यक्ति विशेष आदि के द्वारा चन्दा, दान/अनुदान एवं ऋण द्वारा।
3. संस्था का धन किसी भी बैंक/अराष्ट्रीयकृत बैंक/डाकधर मे रहेगा जिसका संचालन अध्यक्ष/प्रबन्धक/कोषाध्यक्ष मे से किन्ही दो के सयुंक्त हस्ताक्षरो द्वारा किया जायेगा। जिसमें प्रबन्धक का होना आवश्यक है।

(18). कानूनी कार्यवाही

1. संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष/प्रबन्धक के पद नाम से होगी ।
2. संस्था द्वारा निर्गत समस्त कागजात अध्यक्ष/प्रबन्धक के हस्ताक्षर से ही प्रेषित किये जायेगें।

(19) आडिट

संस्था के हिसाब–किताब का आडिट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा तथा समिति द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सी ए द्वारा आडिट मान्य होगा ।

(20). संस्था का अभिलेख

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर कैश बुक, लेजर, एजेण्डा, रसीदबुक, स्टाक रजिस्टर, डाक पंजिका, आदि जो आवश्यक हो रखे जायेगे तथा उक्त अभिलेख संस्था के अध्यक्ष/प्रबन्धक के संरक्षण में रहेगें।

(21) संस्था का विघटन और सम्पत्ति का निस्तारण

संस्था का विधटन और सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजि0 एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

प्रमाणित स्थान : जिला बुलन्दशहर

दिनांक : 15 जौलाई 2012

सत्य प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

De Saint Public School
DAVORAU DIBAI (BSR)

21-3-13

PRINCIPAL
De Saint Public School
Davorau Dibai (BSR)